

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक— पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-01/2022— 66

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
भोजपुर, बिहार।

पटना, दिनांक— 18/8/25

विषय:— वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, भोजपुर के संधारणार्थ चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रु० 69,682/- (रु० उनहत्तर हजार छः सौ बेरासी) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, भोजपुर के संधारणार्थ चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रु० 69,682/- (रु० उनहत्तर हजार छः सौ बेरासी) मात्र आवंटित की जाती है।

2—कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03— पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001—निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0003—पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण—क्षेत्रीय कार्यालय विषय शीर्ष 06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई, विपत्र कोड संख्या— 11-2225-03-001-0003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3—इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर होंगे।

4—आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6—प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7— इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दिया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

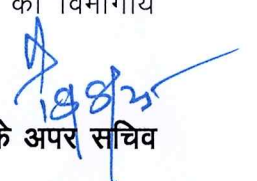
ज्ञापांक- पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-01/2022- 66 पटना, दिनांक- 18/8/25
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ जिला
पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास आयुक्त, भोजपुर/प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पटना प्रमंडल,
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) उप सचिव/विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव